




29/6/18

प्राची अधिवक्ता उप. | फेरौजर सरकार उप. | प्राची अधिवक्ता
ने प्राची पत्र स्वीडर डिफर जाने डा निवेदन दिया। फेरौजर
सरकार ने प्राची पत्र डा जवाब न देने हुए सीधे बस
डे फेरान मुताबिक राजस्व रिजर्वि वादग्रस्त आराजी प्राचीगिन
डी यातेशरी होना स्वीडरते हुए प्राची पत्र न्यायोचित हत्या
बैच सदस्यों द्वारा उपस्थित पत्रकारों को सुना गया। राजस्व रिजर्वि
डा अवलोकन दिया तो प्राची द्वारा प्रस्तुत प्राची पत्र 0-5
128 LRA आकृतोष योग्य होने से स्वीडर डिफर जाने डा निवेदि
लिया गया। अता प्राची पत्र स्वीडर दिया जाता है विस्तृत
निवेदि पृष्ठ से लिखाया जाकर शामिल मिसल दिया गया।
पत्रावली पेंसल कुमार है। नंबर से कम लेजर शामिल एफार है।


सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय


सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय


अध्यक्ष
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

